

'ड्रग कोडिंग' से होगी अरबों-नकली दवाओं की पहचान

ज्ञानप्रकाश/एसएनबी

नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल पर अब लोगों को विभिन्न दवा दुकानों से मिलने वाली दवाओं की गुणवत्ता को लेकर कम से कम संशय की स्थिति से राहत मिलेगी। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (फार्माक्सिल) की देखरेख में औषध नियंत्रक विभाग ने दवाओं की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए नई तकनीक तैयार की है। इसके तहत दवाओं के पैकेट्स पर 'बार कोडिंग' की जाएगी। इस कार्य को अंजाम देने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) एवं विश्वे नामक एक एमएफसी कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है।

दवा के पैकेट के ऊपरी भाग में 'बार कोडिंग' तीन चरणों में की जाएगी। इसमें विशेष किस्म का एक कलर एल्यूमिनेट स्टॉप लगाई जाएगी। जिसमें रेडियम होगा और उसमें उस कंपनी का नाम, लाइसेंस संख्या सहित कई अन्य जानकारीयों दर्ज होंगी। इसकी पहचान करने के लिए मास्टर कार्ड इंस्ट्रुमेंट का प्रयोग

किया जाएगा। कम्प्यूटर माउस के आकार का मास्टर कार्ड सभी दवा की दुकानों और फार्मा कंपनियों के पास होगा। इसे जारी करने के लिए औषध नियंत्रक



अप्रैल महीने से दवाओं के विभिन्न ब्रांडों पर लागू होगी यह प्रणाली

विभाग एक कोड देगा। इसमें उस फार्मास्यूटिकल फर्म का कोड फीड होगा।

उपभोक्ताओं की मांग पर दवाई विक्रेता इस

कार्ड के माध्यम से उसकी गुणवत्ता की पहचान मौके पर ही करेगा। यदि दवा सब स्टैंडर्ड, नकली है पर एवं गुणवत्ताहीन होगी तो इस कार्ड में लाल बत्ती जलने लगेगी। इस आशय की जानकारी सभी फार्मा एवं दवा विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर्स को औषध नियंत्रक विभाग ने भेज दी है। विभाग के अनुसार इस व्यवस्था को लागू करने के लिए फार्मास्यूटिकल एजेंसियों ने अप्रैल-2015 तक का समय मांगा है। उम्मीद है इसके बाद वे अपने उत्पादों में तैयारीय बार कोडिंग करता प्रारंभ कर देंगे। यह व्यवस्था उन दवाओं पर नहीं लागू होगी जो अप्रैल-2013 से पहले बाजार में विक्राने के लिए उतारी जा चुकी हैं।

फार्मासिल के महादेशक डॉ. पीवी अप्पाजी ने कहा कि औषधि क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार होगा। ऐसा होने से ड्रग कोडिंग करने के मामले में दुनिया में दिल्ली समेत भारत का स्थान पहला होगा। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम से दवाओं की पैकेजिंग अलग से होगी। दवाओं की लागत पर वर्तमान की अपेक्षा दस से 15 फीसद अधिक आने का अनुमान है।

Rashtriya

✓